

भारत सरकार
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन- 682009
Fax: 0484-2668468
Website : www.cochincustoms.gov.in
e-mail : cochincustoms@nic.in
Sevottam compliant



GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864
Telephone 0484-2666774 / 2666776
Control Room 0484-2666422
An IS 15700 certified Custom House

परिपत्र CIRCULAR. No. 31/ 2016 -17

विषय : स्थायी व्यापार सुविधा समिति – दिनांक 29.07.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 29.07.2016 – Reg.

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की 126वीं बैठक दिनांक 29.07.2016 को 1530 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन. राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 126th meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 1530 hrs on 29.07.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr. K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt.

1. Amreetha Titus, Deputy Commissioner
2. Jimmy Joseph, Asst. Commissioner
3. Debashish Paul, Asst. Commissioner
4. Mohammed Rafic M., Asst. Commissioner
5. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
6. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
7. Gomathy G., Superintendent of Customs
8. Usha V., Superintendent of Customs
9. Baiju Daniel, Appraiser of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. Raj Vinod, Cochin Port Trust
2. R. Sekhar, Concor India Ltd.
3. Dr. Jestu George, FSSAI, Cochin
4. Dr. Vrushi, AQCS, Cochin
5. Dipin Kayyath, IGTPL
6. K. Suresh Babu, CFS, CPT
7. Abdul Rasheed, CFS, Falcon, Kalamassery
8. V.Veera Raghav, CFS, GDKL
9. Abraham Philip, Cochin Custom House Agents Association
10. M. B. Nandakumar, Cochin Custom House Agents Association
11. Paul Abrao, Cochin Custom House Agents Association
12. Nandakumar K, Cochin Steamer Agents Association
13. Prakash, Cochin Steamer Agents Association
14. Alex K. Ninan, sea Food Exporters Association of India
15. A. A. Abdul Azees, India Chambers of Commerce and Industry
16. Antony Kottaram, Kerala Chamber of Commerce and Industry
17. A. K Vijayakumar, FIEO

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Commissioner welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

चर्चा के लिए उठाए गए नए मुद्दे

FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION.

बिंदु 1 : निकासी न दिए गए भरे हुए कंटेनरों को डेलिवरी वैधता की जांच किए बिना कंटेनर यार्ड से सीएफएस में ले जाना (सीएसएए द्वारा उठाया गया मुद्दा)

Point 1: MOVEMENT OF UN-CLEARED LOADED CONTAINERS FROM CONTAINER YARD TO CFS WITHOUT VERIFYING DELIVERY VALIDITY (Point raised by CSAA)

सीएसएए ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि आईजीटीपीएल/डी.पी. वर्ल्ड ने एसोसिएशन को सूचित किया है कि 01 अगस्त, 2016 से टर्मिनल आयातित माल के भरे हुए निकासी न दिए गए कंटेनरों को लाईन्स/कैरियर्स/फ्राइट फोर्वर्डर द्वारा जारी मूल डेलिवरी पर डेलिवरी वैधता तिथि की निगरानी या जांच किए बिना कंटेनर यार्ड से निर्दिष्ट सी.एफ.एस. तक आउट गेट (मूवमेंट) की अनुमति दी जाएगी और आईजीटीपीएल का मानना है कि आयातक/प्राप्तकर्ता/सीसीएचएए से वैध डेलिवरी तारीख के साथ मूल डेलिवरी आदेश को प्रस्तुत करने की मांग करने की जिम्मेदारी निर्दिष्ट सीएफएस की है और यह भी कहा कि आईजीटीपीएल/डी.पी. वर्ल्ड का यह निर्णय टर्मिनल प्रचालन के प्रबंधन का कार्यभार ग्रहण करने के बाद अब तक टर्मिनलों द्वारा अनुसरण की जा रही मानक प्रक्रियाओं के समान नहीं है और उनका यह रवैया कोचिन सीमाशुल्क आयुक्तालय के अधीन कोचिन पोर्ट में कार्य कर रहे लाइसेंसधारी लाइनरों/कैरियरों/फ्राइट फोर्वर्डरों के खिलाफ है।

The CSAA informed the chair that IGTPL/D.P. World had informed the Association that W.E.F. 1st August 2016 Terminal will be permitting out gate (movement) of un-cleared import loaded containers from container yard to nominated C.F.S. without monitoring or verifying the delivery validity date on the Original Delivery issued by the lines/Carriers/ Freight Forwarder and IGTPL have deemed that it is the responsibility of the manifested C.F.S.'s to demand the importer/ Consignee/ CCHAA to produce Original Delivery order with a Valid Delivery date and said that such a decision by IGTPL/D.P. World is not in line with standard Operational Procedure that had been followed by the Terminals ever since they took over the Management of the Terminal operations and that this stand is also against the larger interest of the Licensed Liners/ Carriers/ Freight Forwarders operating through Cochin Port under Cochin Customs Commissionerate.

उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे आयातित माल के भरे हुए निकासी न दिए गए कंटेनरों को लाईन्स/कैरियर्स/फ्राइट फोर्वर्डर द्वारा जारी मूल डेलिवरी पर डेलिवरी वैधता तिथि की निगरानी या जांच किए बिना कंटेनर यार्ड से निर्दिष्ट सी.एफ.एस. तक आउट गेट (मूवमेंट) की अनुमति देने संबंधी ऐसे कदम के विरुद्ध आईजीटीपीएल/डी.पी. वर्ल्ड को निदेश जारी करें।

They requested the chair to issue directive to IGTPL/D.P. World against any such move to permit out gate (movement) of un-cleared import loaded containers from Container Yard to nominated C.F.S. without monitoring or verifying the delivery validity date on the Original Delivery issued by the lines/Carriers/ Freight Forwarder.

अध्यक्ष महोदय ने आईजीटीपीएल/डी.पी. वर्ल्ड के श्री डिपिन कय्यत्त से पूछा कि प्रक्रिया में बदलाव क्यों किया गया है, जबकि पहले वैध डेलिवरी आदेश के आधार पर मूवमेंट किया जाता था और यह भी जानना चाहा कि सीएफएस में ले जाते समय क्या वे कंटेनरों की वैधता की जांच करते हैं।

The chair asked Shri. Dipin Kayyath of IGTPL/ D.P. World as to why the procedure was changed as earlier the movement was done on a valid delivery order and asked whether they check the validity when they move the container to CFS.

सीसीएचएए के श्री एब्रहाम फिलिप ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि वे चाहते हैं कि टर्मिनल संचालक या कस्टोडियन इस संबंध में जिम्मेदारी उठाएं। सीएसएए के श्री प्रकाश ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि अगर रास्ते में कंटेनर को कुछ हो जाता है, तो इसकी जवाबदेही सीएफएस की होगी। डी.पी. वर्ल्ड के श्री डिपिन कय्यत्त ने जानना चाहा कि सीएफएस इसकी जांच क्यों नहीं कर सकता।

Shri. Abraham Philip of CCHAA informed the chair that they want the Terminal Operator or the Custodian to take responsibility in this regard. Shri. Prakash of CSAA informed the chair that if anything happens to the container en-route, the liability would be with CFS. Shri. Dipin Kayyath of DP World asked why CFS cannot check the same.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चाहे सीएफएस हो या सीएचए, जो व्यक्ति वास्तव में कंटेनर का संचालन करता है, वह वैधता की जांच क्यों नहीं कर सकता। भले ही इसकी जिम्मेदारी कस्टोडियन को दी गई हो, फिर भी किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा मूवमेंट किया जाता है।

The chair said whether it is the CFS or CHA, why the person who actually moves the container cannot check the validity. Even if responsibility is vested with custodian, the movement is done by a third person.

जीडीकेएल के श्री वीर राघव ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि वे कंटेनरों के मूवमेंट के समय जांच कर रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं।

Shri. Veera Raghav of GDKL informed the chair that they are checking and taking full responsibility while moving the containers.

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि आईजीटीपीएल/डी.पी. वर्ल्ड दिनांक 1 अगस्त से कार्यान्वयन की शुरुआत न करें ताकि इसका समाधान ढूँढने के लिए कुछ और समय दिया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी सीएफएस के साथ इस मामले की जांच की जाए और नावा शेवा में अनुसरण की जा रही प्रक्रिया को अपनाया जाए, जहां सभी कंटेनरों को स्वतः सीएफएस में ले जाया जाता है।

The chair suggested that IGTPL/ D.P. World not make 1st of August as date of implementation so as to give more time to find a solution. He also directed that this issue may be verified with all the CFSs and adopt the procedure followed by Nava Sheva where all containers are automatically moved to CFS.

बिंदु 2: आईजीटीपीएल/डी.पी. वर्ल्ड द्वारा वीजीएम कार्यकलाप प्रभार (सीएसएए द्वारा उठाया गया मुद्दा)

Point 2: VGM ACTIVITY CHARGES BY IGTPL/ D.P. WORLD (Point raised by CSAA)

सीएसएए ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि आईजीटीपीएल/डी.पी. वर्ल्ड ने इस आशय की व्यापार सूचना जारी की है कि वे 1 अगस्त, 2016 से वीजीएम कार्यकलाप प्रभार लगाना चाहते हैं और इस संबंध में

उन्होंने सूचित किया कि ऐसे प्रभार लगाना पोत परिवहन मंत्रालय की ओर से पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर आईजीटीपीएल से चर्चा करें तथा उन्हें सूचित करें कि ऐसा कदम भारत सरकार के निर्देशों के खिलाफ है।

The CSAA informed the chair that IGTPL/ D.P. World has issued Trade Notice stating that they intent to impose a VGM activity charges w.e.f. 1st August 2016 and in this aspect, they informed that imposing of such charges was not in line with the directive issued by D.G. Shipping on behalf Ministry of Shipping. They requested the chair to interfere and discuss the matter with IGTPL and make them aware that such a move is against directive from Government of India.

श्री डिपिन कय्यत्त, आईजीटीपीएल ने अध्यक्ष महोदय को जवाब दिया कि विश्वभर में लागू वीजीएम विनियमों के आधार पर, इंटरनैशनल मैरिटाइम ऑर्गनाइसेशन ने दिनांक 09.06.2016 को 'कारगो लदे हुए कंटेनर के वीजीएम के संबंध में दिशानिर्देश' पर एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि "पोर्ट टर्मिनल सुविधा में कंटेनर की डेलेवरी से पहले किसी पैकड कंटेनर के वीजीएम और उस पोर्ट सुविधा द्वारा उक्त कंटेनर के वजन करने पर प्राप्त वीजीएम के बीच किसी भी विसंगति को बाद वाले अर्थात् पोर्ट टर्मिनल सुविधा द्वारा प्राप्त वीजीएम के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए।" इस प्रकार वीजीएम की पुनः जांच की अपेक्षा स्थापित करने के लिए आईजीटीपीएल ने वीजीएम कार्यकलाप प्रभार लगाने की प्रक्रिया शुरू की हैं।

Shri Dipin Kayyath, IGTPL replied to the chair that based on the VGM Regulations implemented globally, International Maritime Organisation had issued a Circular dated 09.06.2014 on 'Guidelines Regarding the VGM of a Container Carrying Cargo' which states that "Any discrepancy between a VGM of a packed container obtained prior to the containers delivery to the Port terminal facility and a VGM of that container obtained by that Port facility's weighing of the container, should be resolved by use of the latter VGM obtained by the Port Terminal facility." As such, in the line of establishing the need for a re-verification of the VGM, IGTPL have introduced the process of imposing VGM activity charges.

अध्यक्ष महोदय ने ध्यान दिलाया कि प्रचालन प्रभारों को कम रखने और बहुत अधिक समस्याओं का सामना करने वाले निर्यातकों पर और अधिक बोझ न डालने के उद्देश्य से वीजीएम को लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय ने आईजीटीपीएल को यह भी सुझाव दिया कि वे महानिदेशक, पोत परिवहन से स्पष्टीकरण का इंतजार करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले दो बातों पर ध्यान दें (1) प्रभारों को कम रखना और (2) कंटेनरों के शट आउट से बचना।

The Chair pointed out that VGM is imposed with a view to keep the operational charges low and not to burden the Exporters who are already facing a lot of problems. The chair also suggested that IGTPL to wait for clarification from DG, Shipping and to address two issues before taking any decisions (1) to keep charges low and (2) to avoid shut out of containers.

बिंदु 3 : एस.ई.जेड.-4 फॉर्म ऑनलाइन जारी करने का अनुरोध (सीएसएए द्वारा उठाया गया मुद्दा)

Point 3: REQUEST FOR ISSUE OF SEZ-4 FORM ONLINE (Point raised by CSAA)

सीएसएए ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि पिछली पीटीएफसी बैठक में, सीसीएचएए ने संकेत दिया था कि आयात कंटेनरों के इन-गेट/स्टेकिंग के लिए लाइन/कैरियरों को एस.ई.जेड.-4 के निस्तारण में तेजी लानी चाहिए और पिछले कुछ महीनों से आईजीटीपीएल ओनलाइन/वेब आधारित एस.ई.जेड.-4 फार्मों को सक्रिय करने का वादा करता आ रहा है तथा अगर इस ओनलाइन/वेब आधारित फार्म को सक्रिय किया जाता है, तो एस.ई.जेड.-4 फार्मों के निस्तारण संबंधी सभी रुकावटें अपने आप दूर हो जाएंगी।

The CSAA informed the chair that in previous PTFC meeting, the CCHAA had indicated that Line/Carriers should speed up releasing SEZ-4 for in-gate/stacking of export container and that IGTPL had been promising to activate online/ WEB Based SEZ-4 forms since last few months and if this online /Web based form is activated, all the so called delays in release of SEZ-4forms will be taken care automatically.

अध्यक्ष महोदय ने आईजीटीपीएल को निर्देश दिए कि वह इस कार्य में तेजी लाए।

The chair directed IGTPL to speed work on the same.

बिंदु 4 : अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना

Point 4: INDIRECT TAX DISPUTE RESOLUTION SCHEME

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि सरकार ने बजट 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, 2016 शुरू की है और यह भी कहा कि इस योजना में आयुक्त (अपील) के समक्ष जिसके मामले लंबित हैं, ऐसे निर्धारित को शुल्क, ब्याज और प्रभारित जुर्माने के 25% के समान जुर्माने का भुगतान करने तथा घोषणा दायर करने का मौका मिलता है जिसके परिणामस्वरूप कार्रवाई समाप्त की जाएगी और कुछ मामलों को छोड़ कर अभियोजन से छुटकारा प्रदान किया जाएगा और उन्होंने कहा कि इस संबंध में बोर्ड ने 01 जून, 2016 को उचित अनुदेश जारी कर दिए हैं।

The chair informed the members that Government has come out with an Indirect Tax Dispute Resolution Scheme, 2016 in the Budget 2016-17 and said that this Scheme provides an opportunity to an assessee whose cases are pending before Commissioner (Appeals), to pay the duty, interest and penalty equivalent to 25% of penalty imposed and file a declaration, consequent to which the proceedings would be closed and immunity from prosecution granted except in certain cases and said that the Board has issued suitable instruction on 1" June, 2016 in this regard.

बिंदु 5 : सीबीईसी द्वारा चलाया गया करदाता अनुभव सर्वेक्षण

Point 5 : TAX PAYER EXPERIENCE SURVEY CONDUCTED BY CBEC

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू किए गए सुधारों के ज़मीनी प्रभाव पर फीडबैक एकत्र करने के उद्देश्य से एफआईसीसीआई से करदाता अनुभव सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया था। उन्होंने रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं को पढ़ा।

The chair informed the members that The Central. Board of Excise & Customs had requested FICCI to conduct a taxpayers' experience survey with the objective of garnering a feedback on impact that reforms undertaken during the last two years had on the ground. He read out the salient points in the report.

- *क्या अप्रत्यक्ष कर नीतियां उदार और करदाता-अनुकूल हुई हैं के प्रश्न के उत्तर में 72% की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही।*

In reply to the question as to whether the Indirect Tax policies have become liberal and taxpayer-friendly, 72% responded positively.

- *प्रतिक्रिया देने वालों में 45% ने रिपोर्ट दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों (आयुक्त और इससे ऊपर) के रवैये में परिवर्तन हुआ है।*

45% of the respondents reported attitudinal change in senior functionaries (Commissioner level and above).

- 51% ने निरीक्षक और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के रवैये में सुधार की पुष्टि की। प्रतिक्रिया देने वालों में से 75% ने आईटी सक्षम सेवाओं के मानकों पर संतुष्टि जताई।
51% acknowledged an improvement in attitude at the level of Inspector and above. 75% of the respondents expressed satisfaction with the standards of IT enabled services.
- प्रतिक्रिया देने वालों में से 49% ने धनवापसी की प्रोसेसिंग में सकारात्मक सुधार रिपोर्ट किया।
49% of the respondents reported a positive change in processing of refunds.
- प्रतिक्रिया देने वालों में से 89% ने एसवीबी संबंधित प्रक्रिया में सुधार का उल्लेख किया।
89% of the respondents indicated improvement in SVB related procedure.
- प्रतिक्रिया देने वालों में से 85% ने बजट में मालगोदाम प्रावधानों में किए गए वैधानिक परिवर्तनों की प्रशंसा की।
85% of the respondents approved the legislative changes made in warehousing provisions in the Budget.
- 92% ने सीमाशुल्क एवं उत्पादशुल्क व्यवसाय प्रक्रिया के सरलीकरण में सीबीईसी की सफलता को स्वीकार किया।
92% acknowledged CBEC's success in simplification of Customs and Central Excise business processes.

बिंदु 6 : बुधवार के दिन को करदाता दिवस के रूप में नामित करना

Point 6: DESIGNATION OF WEDNESDAYS AS TAXPAYERS DAY

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि बोर्ड ने बुधवार को करदाता दिवस के रूप में नामित किया है, जिससे करदाता अपने मामलों/शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों के अध्यक्षों से पहले से मिलने का समय निश्चित किए बिना मिल सकते हैं।

The chair informed the members that the Board has designated Wednesdays as taxpayer's day, whereby taxpayers can meet the heads of all the field officers of the department without any prior appointment in order to resolve their issues/ grievances expeditiously.

बिंदु 7 : पूरक धन वापसी और शुल्क वापसी के लिए एस.एम.एस. सेवा

Point 7: SMS SERVICE FOR SUPPLEMENTARY REFUND AND DRAWBACK

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि एस.एम.एस. सुविधा का विस्तार पूरक धनवापसी और शुल्कवापसी के लिए भी कर दिया गया है, जो पहले केवल धनवापसी और शुल्कवापसी के लिए दायर किए गए दावों के संबंध में सूचना भेजने हेतु शुरू की गई थी।

The chair informed the members that the SMS facility had been extended also to supplementary refund and drawback claims, in addition to the service started for dissemination of information on claims filed for refund and drawback.

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह के वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II

तारीख Dated: 22.08.2016

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.
The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner
All D.Cs & A.Cs
All members

